तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/11/20	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय वकील उपस्थित होकर अंतर्गत धारा 212 RT act के तहत पेश किया। प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस बाबत जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। जिससे प्रथम दृष्टतया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होता है। प्रकरण दर्ज रजि० किया जावे। अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 14/12/20 तक विवादित आ०ख०न० 2395/0.25, 2396/0.25, 2397/0.25, 2398/0.07 वाके ग्राम कैथवाड़ा प्रथम तह० पहाड़ी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आज्ञा के जारी रहने में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 14/12/20 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 14/12/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)	
14/12/20	वकील फरिकैन उपस्थित। नकल दी जावे। पत्रावली वास्ते जवाब दि० 04/02/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/1/21	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थी द्वारा मुकदमा [illegible] कर लिया है अतः प्रकरण [illegible] होने के कारण [illegible] किया जाता है। पूर्व में जारी T.I. दिनांक 10/11/20 खारिज की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)	

Scanned with OKEN Scanner